भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 351

05 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी का सुरक्षित निपटान

351. श्री मद्दीला गुरुमूर्ति:
श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बैटरी की जीवन अवधि 6-7 वर्ष की होती है जिसके बाद इसे पुनर्चक्रित करने की आवश्यकता होती है जो कि जटिल है, क्योंकि बैटरी में कई जहरीले पदार्थ होते हैं जिनका निपटान करना कठिन होता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ईवी बैटरियों का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या देश में इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रदूषण बढ़ता है क्योंकि बैटरियां कोयले से उत्पादित बिजली से चार्ज होती हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में ईवी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार की इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए मानकीकृत चार्जिंग पोर्ट अधिदेशित करने की योजना है अन्यथा प्रत्येक निर्माता को देश भर में अलग-अलग चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करनी पड़ती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क) और (ख): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की अपशिष्ट बैटरियों सहित बैटरियों का पर्यावरण-अनुकूल कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 22 अगस्त, 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2022 को अधिसूचित किया।

नियमावली के अनुसार, बैटरी आयातकों (उत्पादकों सहित) को अपशिष्ट बैटरियों के संग्रहण और पुनर्चक्रण/नवीकरण के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सार्वजनिक अपशिष्ट प्रबंधन प्राधिकरणों को अधिदेश दिया गया है कि वे एकत्रित अपशिष्ट बैटरियां उनके लिए कार्य कर रहे उन उत्पादकों या एजेंसियों को सौंप दें जो नवीकरण या पुनर्चक्रण के कार्य से जुड़े हैं।

अपशिष्ट बैटरियों के संग्रहण, पृथक्करण और शोधन (ट्रीटमेंट) में शामिल सभी इकाइयों को इन्हें पंजीकृत रिफर्बिशर्स या रिसाइक्लर्स को सौंपने का आदेश दिया गया है। उपभोक्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपशिष्ट बैटरियों का निपटान अन्य अपशिष्टों--विशेषकर मिश्रित अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट से अलग करके करें।

(ग) : जी नहीं।

(घ) : उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनज़र, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) : भारी उद्योग मंत्रालय में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

****